प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 27 अक्टूबर, 2023**

विषय:-उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम 1953 की धारा-17 की उपधारा (4) के प्राविधानों के अन्तर्गत बजाज समूह की चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 का पत्र संख्या–1029/अधि0नि0(वित्त)/निधि-2/आय-व्ययक 2023-24/436, दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-09 के अन्तर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के लेखाशीर्ष 4801-05-190-8907-30 में हो रही बचत की धनराशि रूपये 511.00 करोड़ एवं लेखाशीर्ष 4801-05-190-8908-30 में हो रही बचत की धनराशि रूपये 850.00 करोड़ अर्थात कुल धनराशि रूपये 1361.00 करोड़ को पुनर्विनियोग के माध्यम से (संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र के अनुसार) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष 4801-05-190-08-30 वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के मद में स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि मै0 ललितपुर पावर जनरेशन कम्पनी की बकाया धनराशि के सापेक्ष रूपये 1361,00,00,000/- (रूपये एक हजार तीन सौ इकसठ करोड़ मात्र) को आहरित की जायेगी। अवमुक्त धनराशि का उपयोग अन्य किसी कार्य हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

(3) उपरोक्त धनराशि शासनादेश संख्या-435/24-ऊ0(नि0नि0)प्र0/23-24(प्रकोष्ठ)/2010, दिनांक 25 अक्टूबर, 2023 के अनुसार मै0 बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0 की प्रदेश में स्थित विभिन्न इकाईयों को उपलब्ध करायी जानी है। इस हेतु आयुक्त, गन्ना एवं चीनी के पत्र संख्या-754/सी/क्रय-1/372/विद्युत/2023, दिनांक 26.10.2023 के द्वारा बजाज हिन्दुस्थान शुगर कम्पनी लि0 की संबंधित इकाईयों के बैंक खातों का विवरण उपलब्ध कराया गया है। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा आहरित की गयी धनराशि का भुगतान मै0 बजाज हिन्दुस्थान शुगर कम्पनी लि0 की संबंधित इकाई के खाते में आर0टी0जी0एस0 द्वारा किया जायेगा।

(4) गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग द्वारा बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि0 को इस आशय के निर्देश अपने स्तर से निर्गत किये जायेगें कि उक्त धनराशि का उपयोग किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु किया जाये।

(5) इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत एवं आहरित धनराशि को ललितपुर पावर जनरेशन कम्पनी के उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 पर बकाया विद्युत क्रय देयों के सापेक्ष भुगतानित माना जायेगा तथा ललितपुर जनरेशन कम्पनी के लम्बित देयों में समतुल्य धनराशि की कमी कर ली जायेगी।

(6) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा अपने खातों में उक्त धनराशि का भुगतान ललितपुर पावर जनरेशन कम्पनी लि0 के देयों के सापेक्ष पुस्तांकित किया जायेगा।

(7) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे हैं, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मॉंग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(9) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा।

(10) प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

(11) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु निदेशक (वित्त) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 उत्तरदायी होंगे।

(12) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व निदेशक (वित्त) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 का होगा।

(13) स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/ लखनऊ और ऊर्जा विभाग/ वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(15) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 1361,00,00,000/- (रूपये एक हजार तीन सौ इकसठ करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 4801051900800 उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु अंशपूँजी मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या–E-10-118-X-2023-24- दिनांक 27-10-2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।

संख्या-100/2023/001/2754(1)/24-1-2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा आयुक्त गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस शासनादेश तथा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अधनियम 2021 के संगत प्राविधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराना चाहें।
2- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
3- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)-प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001
4- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- चीनी एवं गन्ना विकास अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
7- ऊर्जा (निजी निवेश) प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 / राज्य योजना आयोग-1/ गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।